बालेश्वर दयाल जायसवाल

बनाम

बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 5924/2015 आदि)

05 अगस्त, 2015

[जगदीश सिंह खेहर और आदर्श कुमार गोयल,जे.जे.]

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002-धारा18(2) - अपीलीय न्यायाधिकरण - शक्ति - धारा 18(1) के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए अभिर्निधारित धारा 18(2) में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अपील का निपटान करना होगा - इस प्रकार 1993 अधिनियम की धारा 20(3) का प्रावधान लागू है - जब तक कानून की योजना स्पष्ट रूप से माफी की शक्ति को बाहर नहीं करती है, तब तक ट्रिब्यूनल को ऐसी शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है, जब वैधानिक योजना इसकी गारंटी देती है - निगमन द्वारा कानून के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है - इसलिए, ट्रिब्यूनल के पास यह शक्ति है 18(2) धारा का परंतुक सपठित धारा 1993 अधिनियम की धारा

20(3) के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए 18(1) - बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993- धारा 20(3) परंतुक - निगमन द्वारा विधान का सिद्धांत विलंब - माफी।

परिसीमा अधिनियम, 1963:

धारा 29(2) - प्रयोज्यता - प्रतिभूतियों और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही के लिए- माना गया धारा 29(2) पूर्ण रूप से लागू नहीं है - 2002 अधिनियम में अंतर्निहित रूप से एक अलग योजना को अपनाने की सीमा तक परिसीमा अधिनियम के प्रावधान शामिल नहीं है - वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

एस.14-की प्रयोज्यता - अभिर्निधारित 14 धारा के सिद्धांत सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 18(1) के अन्तर्गत अपील पर लागू होगा, भले ही परिसीमा अधिनियम की धारा 5 और 29(2) ऐसी कार्यवाही पर लागू नहीं होती हैं, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002-धारा 18(1)।

न्यायालय द्वारा अपील का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1. उक्त धारा 18(1)के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरफेसी अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण को आरडीबी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपील का निस्तारण करना होगा। इस संबंध में, अपील के निस्तारण के लिए आरडीबी अधिनियम के प्रावधानों को सरफेसी अधिनियम में शामिल किया गया है। एक बार ऐसा होने पर, हम यह समझने में असमर्थ है कि सरफेसी अपीलीय न्यायाधिकरण निर्धारित अवधि से परे अपील पर विचार क्यों नहीं कर सकता है, भले ही वह संतुष्ट हो कि उस अवधि के भीतर ऐसी अपील न करने का पर्याप्त कारण है। पैरा [8] [11-एफ-जी]

2. परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) का कोई पूर्ण अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि प्रश्न में कानून एक अलग योजना को अपनाने की सीमा तक परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता को निहित रूप से बाहर करता है। देरी को माफ करने की शक्ति का बहिष्कार इसमें निहित किया जा सकता है। [पैरा 12] [14 बी सी]

भारत संघ बनाम पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी (1995) 5 एससीसी 5 य राज्य विद्युत बोर्ड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक 2010 (4) एससीआर 680 रू (2010) 5 एससीसी 23 य सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क बनाम हांगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2009) 5 एससीसी 791 य गोपाल

सरदार बनाम करुणा सरदार 2004 (2) एससीआर 826 : (2004) 4 एससीसी 252 - पर निर्भर

3. जब तक कानून की योजना स्पष्ट रूप से माफी की शक्ति को बाहर नहीं करती है, तब तक अपीलीय न्यायाधिकरण को ऐसी शक्ति से इनकार करने का कोई कारण नहीं है जब वैधानिक योजना इसकी गारंटी देती है। निगमन द्वारा विधान का सिद्धांत सर्वविदित है।[पैरा 8,ख][12-ए-बी,]

राम कृपाल भगत बनाम बिहार राज्य 1970 3 एससीआर 233 : (1969) 3 एससीसी 471 य बोलानी ओरेस लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य 1975 (2) एससीआर 138 : (1974) 2 एससीसी 777 य महिंद्रा एंड लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1979 2) एससीआर 1038 : (1979) 2 एससीसी 529 य ओंकारलाल नंदलाल बनाम स्टेट ऑफ 1985 (2) सप्ल. एससीआर 1075 : (1985) 4 एससीसी 404 - पर निर्भर।

4. धारा 22 सिविल कोर्ट की शक्तियों को केवल उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ट्रिब्यूनल पर निहित करती है, जैसे गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों का प्रकटीकरण व प्रस्तुतीकरण, साक्ष्य प्राप्त करना, गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करना आदि और ट्रिब्यूनल को निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अदालत माना जाता है, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 196 और 228 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 में है। देरी को माफ करने की शक्ति आरडीबी अधिनियम की धारा 20(3) के प्रावधान के

साथ पढ़े गए सरफेसी अधिनियम की धारा 18(2) के आधार पर स्पष्ट रूप से लागू थी और उस सीमा तक, परिसीमा अधिनियम के प्रावधान प्रश्नगत विशेष कानूनों के तहत स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। धारा 29(2) निहित रूप से बाहर रखा गया है। [पैरा 14] [14 बी 15-ए, सी-ई]

साजिदा बेगम बनाम भारतीय स्टेट बैंक एआईआर 2013 एपी 24 य यूको बैंक, बनाम मैसर्स। कांजी मांजी कोठारी एंड कंपनी, 2008 (4) पुन्नू स्वामी बनाम ऋण वसूली न्यायाधिकरण 2009 (3) बी.जे. 401 - आंशिक रूप से अनुमोदित।

नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। 2009 (12) एससीआर 54:(2009) 8 एससीसी 646 - संदर्भित।

5. भले ही परिसीमा अधिनियम की धारा 5 निहित रूप से लागू न हो, परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के सिद्धांत को तब भी लागू माना जा सकता है, भले ही परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) लागू न हो। [पैरा 14] [15 एफ]

समेकित इंजीनियरिंग उद्यम बनाम प्रमुख सचिव, सिंचाई 2008 (5) एससीआर 1108(2008) 7 एससीसी 169 य एमपी। स्टील कॉर्पोरेशन बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2015) 5 स्केल 505 - पर भरोसा किया गया।

6. इसलिए सरफेसी अधिनियम की धारा 18(1) के तहत अपील दायर करने में देरी को अपीलीय न्योयाधिकरण द्वारा आरडीबी अधिनियम की धारा 20(3) के प्रावधानों को सरफेसी अधिनियम की धारा 18(2) के साथ पढ़ा जाकर उक्त प्रावधान के तहत माफ किया जा सकता है।[पैरा15] [15 जी, 16 ए, बी]

ट्रांसकोर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2006 (9) सप्ल। एससीआर 785 (2008) 1 एससीसी 125 - पर निर्भर।

श्री सेठ बंशीधर मीडिया राइस मिल्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारतीय स्टेट बैंक एआईआर 2011 एमपी 205 - अनुमोदित नहीं।

गोपाल सरदार बनाम करुणा सरदार 2004 (2) एससीआर 826 (2004) 4 एससीसी 252, फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम द कस्टोडियन 2004 (5) सप्ल. एससीआर 505 (2004) 11 एससीसी 472- संदर्भित।

केस कानून संदर्भ :

एआईआर 2011 एमपी 205	स्वीकृत नहीं।	पैरा 6

AIR 2013AP 24	आंशिक रूप से स्वीकृत	पैरा 6
2008(4)एमएचएलजे424	आंशिक रूप से स्वीकृत	पैरा 6
2009 (3) बीजे 401	आंशिक रूप से स्वीकृत	पैरा6
1970 (3) एससीआर 233	पर भरोसा किया गया।	पैरा 8
1975 (2) एससीआर 13 एस	पर भरोसा किया गया।	पैरा 8
1979 (2) एससीआर 103 एस	पर भरोसा किया गया।	पैरा 8
1985 (2) सप्ल. एससीआर 1075	पर भरोसा किया।	पैरा 8
2006 (9) पूरक। एससीआर 7 एस 5	पर भरोसा किया।	पैरा 9
2004 (2) एससीआर एस 26	संदर्भित।	पैरा10,12
2004(5)पूरक।एससीआर 505	का उल्लेख किया गया है।	पैरा10
(1995) 5 सेकंड 5	पर भरोसा किया गया।	पैरा 12
2010 (4) एससीआर 6 एसओ	पर भरोसा किया गया।	पैरा 12
(2009)5 सेकंड 791	पर भरोसा किया गया।	पैरा12
2004 (2) एससीआर एस 26	पर भरोसा किया।	पैरा 12
2009 (12) एससीआर 54	संदर्भित।	पैरा 14

200 एस (5) एससीआर 110 एस पर भरोसा किया। पैरा 14

(2015) 5 स्केल 505 पर भरोसा किया गया। पैरा 14

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या-5924/ 2015

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की रिट याचिका संख्या 8864/2011 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.09.2011 से

साथ

सी.ए. 2015 की संख्या 5925, 5926 और 5927

राणा मुखर्जी, डेजी हन्ना, प्रियंका दास, संजय कपूर, अमोल चितले, प्रज्ञा बघेल, प्रिंस पोविया, अक्षत श्रीवास्तव, रोनिन ओझा, मंजीत किरपाल, प्रगति नीखरा, प्राणेश अपीलकर्ता के लिए।

विजय हंसारिया, नीरज शर्मा, सुमित कुमार शर्मा प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति आदर्श कुमार गोयल,जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. अपील की अनुमति दी गई।

2. अपीलो के इस जत्थे में सवाल यह है कि वितीय परिसंपतियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम

2002; सरफेसी अधिनियमद्ध के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के पास धारा 18 के तहत उक्त अधिनियम में अपील दायर करने में देरी को माफ करने की शक्ति है।

3. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को सुना है, जिनमे अपीलकर्ता-उधारकर्ताओं के वकील श्री अमोल चितले और अक्षत श्रीवास्तव व बैंको की ओर से वरिष्ठ वकील श्री राणा मुखर्जी, श्री अनिल कुमार संगल और प्रणब कुमार मुलिक, वकील शामिल है।

4. अपीलकर्ताओं का कहना है कि अपीलिय न्यायाधिकरण के पास निम्नलिखित कारणों से निर्धारित सीमावधि के बाद भी अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने की शक्ति है:

(1) सरफेसी अधिनियम की धारा 18(2) में प्रावधान है कि अपीलीय न्यायाधिकरण अपील के निपटान में बैंको व वितीय संस्थानों अधिनियम 1993 (आरडीबी एक्ट) के तहत कर्ज वसुली के प्रावधानों की पालना करनी चाहिए जबतक सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत बने नियमों के आधार पर आरडीबी अधिनियम की धारा 20(3) का प्रावधान अपीलीय न्यायाधिकरण को सीमावधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार करने का अधिकार देता है यदि सीमावधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण दिखाया गया हो। इस प्रकार आरडीबी अधिनियम की धारा 20;3द्ध का प्रावधान सरफेसी अधिनियम की धारा 18(2) में शामिल किया गया है।

(2) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) उक्त अधिनियम की धारा 4 से 24 को एक विशेष या स्थानीय कानून पर लागू करती है जो किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए परिसीमा की एक अलग अवधि निर्धारित करती है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया जाता है। सरफेसी अधिनियम में परिसीमा अधिनियम की 4 से 24 की प्रयोज्यता को छोडकर कोई प्रावधान नहीं है, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ किया जा सकता है, और जहां भी लागू हो, परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत समय को छोडा जा सकता है और

(3) आरडीबी अधिनियम की धारा 24 न्यायाधिकरण में किए गए आवेदन पर परिसीमा अधिनियम को लागू करती है। सरफेसी अधिनियम की धारा 36 परिसीमा अधिनियम के तहत निर्धारित सीमावधि को 13(4) के तहत किए गए उपायों पर लागू करती है। इस प्रकार, परिसीमा अधिनियम का कोई बहिष्करण नहीं है।

5. दूसरी ओर, बैंक यह तर्क देंगे किः

(1) सरफेसी एक्ट की धारा 18(1) में दायर की गई अपील के लिए सरफेसी एक्ट की धारा 18(2) को आरडीबी एक्ट के विस्तृत प्रावधानों के रूप में नहीं पढा जा सकता है।

(2) लिमिटेशन एक्ट की धारा 29(2) न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होती है क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के तहत निर्धारित सीमावधि केवल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर लागू होती है, न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं, और

(3) परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों को न केवल किसी स्थानीय या विशेष कानून के स्पष्ट प्रावधान द्वारा बल्कि ऐसे स्थानीय या विशेष कानून की योजना से आवश्यक निहितार्थ द्वारा भी बाहर रखा जा सकता है। अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उपायों पर स्पष्ट रूप से लागू परिसीमा अधिनियम बनाकर सरफेसी अधिनियम की योजना उक्त अधिनियम को अपील या अन्य कार्यवाही से बाहर कर देती है।

6. पार्टियों के विद्वान वकील ने हमारे ध्यान में लाया है कि विचाराधीन मुद्दे की जांच मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, बाॅम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों द्वारा की गई है। जबकि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सेठ बंशीधर केडिया राइस मिल्स प्रा. लि. बनाम भारतीय स्टेट बैंक AIR 2011 MP 205 में माना है कि अपील दायर करने में देरी को न्यायाधिकरण द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है। व आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने संजीदा बेगम बनाम भारतीय स्टेट बैंक AIR 2013 AP 24 में व बाॅम्बे हाईकोर्ट ने यूको बैंक, मुम्बई बनाम मैसर्स कांजी मांजी कोठारी एंड कंपनी मुंबई 2008 (4)

Mhlj 424 व मद्रास हाईकोर्ट ने पुन्नु स्वामी बनाम ऋण वसुली न्यायाधिकरण 2009 (3) BJ 401 में इसके विपरित निर्णय लिया है।

7. इस स्तर पर सरफेसी अधिनियम की धारा 18 और 36, आरडीबी अधिनियम की धारा 20 और धारा 24 और परिसीमा अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा :

"सरफेसी अधिनियम की धारा 18 और 36"

18. अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील

(1) धारा 17 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण में निर्धारित शुल्क के साथ अपील कर सकता है:

बशर्ते कि उधारकर्ता द्वारा या उधारकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील दायर करने पर अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए जा सकते हैः

इसके अलावा, किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उधारकर्ता ने अपीलीय न्यायाधिकरण के पास उससे देय ऋण राशि का पचास प्रतिशत जमा नहीं करा दिया हो। जैसा कि सुरक्षित लेनदारों द्वारा दावा किया गया है या ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, जो भी कम होः

यह भी प्रावधान है कि अपीलीय न्यायाधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से दूसरे परंतुक में उल्लेखित ऋण की राशि को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक कम कर सकता है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां तक संभव हो, उसके तहत बनाए गए नियम व बैंकों और वितिय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के प्रावधानों के अनुसार अपील का निपटान करेगा।

36. परिसीमा कोई भी सुरक्षित लेनदार धारा 13 की उपधारा (4) के तहत सभी या कोई भी उपाय करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वितीय परिसंपति के संबंध में उसका दावा परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत निर्धारित सीमावधि के भीतर नहीं किया जाता है। (1963 का 36)

आरडीबी अधिनियम की धारा 20 और 24:

धारा 20 अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील

(1) उपधारा (2) में दिए गए प्रावधान के अलावा इस अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित या माना जाने वाला कोई भी व्यक्ति, मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाले अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है।

(2) पार्टियों की सहमति से ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल में कोई अपील नहीं की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के तहत प्रत्येक अपील उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी, जिस दिन ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए आदेश की एक प्रति बनाई गई या बनाई गई मानी जाती है उसे प्राप्त होती है और यह ऐसे प्रारूप में होगी और इसके साथ ऐसी फीस होगी जो निर्धारित की जाए।

परंतु अपीलीय न्यायाधिकरण पैंतालीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(4) उपधारा (1) के तहत अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय न्यायाधिकरण, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद] उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा उसे उचित लगता है आदेश के विरुद्ध की गई अपील की पुष्टि, संशोधन या रद्द कर सकता है।

(5) अपीलीय न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति अपील के पक्षकारों और संबंधित न्यायाधिकरण को भेजेगा।

(6) उपधारा (1) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील को यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाएगा और अपील की प्राप्ति की

तारीख से छह महीने के भीतर अपील को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास किया जाएगा।

धारा 24 परिसीमा परिसीमा अधिनियम] 1963 (1963 का 36) के प्रावधानत जहां तक संभव हो ट्रिब्यूनल में किए गए आवेदन पर लागू होंगे।

परिसीमा अधिनियम की धारा 29

29- व्यावृतियां-

(1) इस अधिनियम की कोई भी बात भारतीय संविदा अधिनियम] 1872 (1872 का 9) की धारा 25 को प्रभावित नहीं करेगी।

(2) जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे] अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न सीमावधि निर्धारित करता है] धारा 3 के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी मुकदमे] अपील या आवेदन के लिए निर्धारित किसी भी सीमावधि का निर्धारण करने के उद्देश्य से] धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल उसी हद तक लागू होंगे जिस हद तक] और जहां तक] वे ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है।

(3) विवाह और तलाक के संबंध में वर्तमान में लागू किसी भी कानून में अन्यथा उपबंधित के अतिरिक्त इस अधिनियम में कुछ भी ऐसे कानून के तहत किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

(4) धारा 25 और 26 और धारा 2 में सुखाधिकार की परिभाषा उन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले मामलों पर लागू नहीं होगी जिन पर भारतीय सुखाधिकार अधिनियम] 1882 (1882 का 5) फिलहाल लागु हो।

8- विचार के लिए पहला बिंदु सरफेसी अधिनियम की धारा 18(2) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील के निपटान के लिए आरडीबी अधिनियम की धारा 20(2) के प्रावधान की प्रयोज्यता है। उक्त धारा 18(2) के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरफेसी अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण को आरडीबी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपील का निस्तारण करना होगा। इस संबंध में] अपील के निस्तारण के लिए आरडीबी अधिनियम के प्रावधानों को सरफेसी अधिनियम में शामिल किया गया है। एक बार ऐसा होने पर] हम यह समझने में असमर्थ है कि सरफेसी अपीलीय न्यायाधिकरण निर्धारित अवधि से परे अपील पर विचार क्यों नहीं कर सकता है] भले ही वह संतुष्ट हो कि उस अवधि के भीतर ऐसी अपील न करने का पर्याप्त कारण है। भले ही परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के आधार पर देरी को माफ करने की शक्ति को लागू नहीं माना जाता है] आरडीबी अधिनियम की धारा 20(3) का परंतुक सरफेसी

एक्ट की धारा 18(2) के आधार पर लागू होता है। यह व्याख्या दो कानूनों के प्रावधानों से स्पष्ट रूप से सामने आती है और न्याय के उद्देश्य को भी आगे बढाती है। जब तक कानून की योजना स्पष्ट रूप से माफी की शक्ति को बाहर नहीं करती है] तब तक अपीलीय न्यायाधिकरण को ऐसी शक्ति से इनकार करने का कोई कारण नहीं है जब वैधानिक योजना इसकी गारंटी देती है। निगमन द्वारा विधान का सिद्धांत सर्वविदित है और इसे अन्य बातों के साथ राम कृपाल भगत बनाम बिहार राज्य (1969) 3 scc 471] बोलानी ओरेस लिमिटेड बनाम उडिसा राज्य (1974) 2 scc 777] महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड बनाम भारत संघ(1979) 2 scc 529 और ओंकारलाल नंदलाल बनाम राजस्थान राज्य(1985) 4 scc 404 में लागु भी किया गया है और अपीलकर्ताओं की ओर से निर्भर किया गया। इस प्रकार हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि सरफेसी अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के पास सरफेसी अधिनियम की धारा 18(2) और आरडीबी अधिनियम की धारा 20(3)के प्रावधानों के आधार पर उसके समक्ष अपील दायर करने में देरी को माफ करने की शक्ति है।

9- आरडीबी अधिनियम और सरफेसी अधिनियम एक-दूसरे के पूरक है जैसा कि इस न्यायालय ने ट्रांसकोर बनाम भारत संघ (2008) 1 sec 125 में माना है कि वह भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

10- अब हम इस विषय पर उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी विचारों से निपट सकते है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि विलंब माफ करने की शक्ति को व्याख्या के सिद्धांत से बाहर रखा गया है कि यदि बाद के कानून ने माफी के स्पष्ट प्रावधान के बिना सीमा की छोटी अवधि प्रदान की है, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि माफी की कोई शक्ति नहीं थी। न्यायधिपति जीपी सिंह के वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों के 12 वें संस्करण 2010 पृष्ठ 310 पर निर्भरता रखी गयी है। आगे यह देखा गया है कि परिसीमा अधिनियम को आरडीबी अधिनियम की धारा 24 के तहत एक न्यायाधिकरण पर लागू किया गया था] लेकिन अपीलीय न्यायाधीकरण के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह के अनुमान को सही ठहराने के लिए गोपाल सरदार व फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड बनाम द कस्टिडियन (2004) 11 scc 412 मामले पर भी निर्भर किया गया है। आगे यह देखा गया है कि सरफेसी अधिनियम का उद्देश्य बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करना और ऐसे बकाया की वसूली के लिए की गई कार्यवाही से उत्पन्न विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। हमें यह दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण लगता है और व्याख्या के जिस सिद्धांत पर भरोसा किया गया है] उसकी समझ गलत है। प्रसिद्ध ग्रंथ में चर्चा किया गया सिद्धांत इस प्रकार है

"जब कोई संशोधित अधिनियम मुख्य सिद्धांत की भाषा को बदलता है तो यह परिवर्तन जानबुझकर किया गया माना जाना चाहिए।"

11- यह समझना कठिन है कि उपरोक्त सिद्धांत उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को कैसे उचित ठहराता है। सरफेसी अधिनियम में किए गए बदलाव को कानून से देखा जाना चाहिए] न कि इसके परे से इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील दायर करने की सीमा अवधि 30 दिन है जबकि आरडीबी अधिनियम की धारा 20 के तहत 45 दिन है। इस हद तक] विधायी मंशा जानबूझकर हो सकती है। माफी के लिए एक स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति] जब धारा 18(2) स्पष्ट रूप से आरडीबी अधिनियम के प्रावधानों को अपनाती है और शामिल करती है] जिसमें अपील दायर करने में देरी की माफी का प्रावधान है] तो माफी की शक्ति को छोडकर नहीं पढा जा सकता है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है] धारा 20(3)का प्रावधान जो देरी की माफी का प्रावधान करता है आरडीबी अधिनियम के तहत 45 दिनद्ध को सरफेसी अधिनियम के तहत अपील के निपटान के लिए बढाया जाता है इस हद तक कि माफी 30 दिनों से अधिक की देरी के लिए है। सरफेसी अधिनियम के तहत अपील के निस्तारण में धारा 20(3) के प्रावधानों को बाहर करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा दृष्टिकोण अपनाने से सरफेसी अधिनियम की

18(2) निष्प्रभावी हो जाएगी। इस प्रकार] हम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखने में असमर्थ है।

12- हमें मद्रास] आंध्र प्रदेश और बॉम्बे उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं लेकिन अलग-अलग कारणों से। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण श्रीमती साजिदा बेगम बनाम भारतीय स्टेट बैंक AIR 2013 AP 24 परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2)की प्रयोज्यता पर आधारित है। हमारे विचार में] परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) का कोई पूर्ण अनुप्रयोग नहीं है] क्योंकि प्रश्न में कानून एक अलग योजना को अपनाने की सीमा तक परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता को निहित रूप से बाहर करता है। यदि परिसीमा अधिनियम को कोई प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं अपनाया गया था] तो यह मानना संभव हो सकता था कि धारा 29(2) के आधार पर देरी को माफ करने की शक्ति उपलब्ध थी। यह सुस्थापित है कि देरी को माफ करने की शक्ति का बहिष्कार इसमें निहित किया जा सकता है] भारत संघ बनाम पोपुलर कंस्ट्रक्शन कम्पनी (1995) 5 scc 5] छतीसगढ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (2010) 5 scc 23; कमीशनर आफ कस्टमस एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज बनाम होंगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2009) 5 scc 191 और गोपाल सरदार

बनाम करूणा सरदार (2004) 4 scc 252 में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार तथा बैंकों की ओर से निर्भर किया गया।

13- अब हम अंतिम प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि क्या सरफेसी अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण एक न्यायालय नहीं था और इसलिए] परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) लागू नहीं होती थी।

14- साजिदा बेगम मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल को न्यायालय मानते हुए आरडीबी अधिनियम की धारा 22 और 24 पर भरोसा किया है। धारा 22 सिविल कोर्ट की शक्तियों को केवल उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ट्रिब्यूनल पर निहित करती है] जैसे गवाहों को बुलाना] दस्तावेजों का प्रकटीकरण व प्रस्तुतीकरण] साक्ष्य प्राप्त करना] गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करना आदि और ट्रिब्यूनल को निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अदालत माना जाता है] जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 193] 196 और 228 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 में है। ये प्रावधान विचाराधीन कानून की योजना की जांच किए बिना सीमा अधिनियम की धारा 29(2) के लिए ट्रिब्यूनल के न्यायालय होने के प्रश्न पर निर्णायक नहीं हो सकते हैं। नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (2009) 8 scc 646 में इस न्यायालय ने प्रश्न में दो अधिनियमों की योजना की जांच की और माना

कि ट्रिब्यूनल एक अदालत थी] लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय। हमारा विचार है कि इन अपीलों के निर्णय के प्रयोजनों के लिए] यह प्रश्न तय करना आवश्यक नहीं है कि क्या प्रश्न में बैंकिंग कानून के तहत ट्रिब्यूनल परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के प्रयोजनों के लिए अदालत थी। हमने पहले ही माना है कि देरी को माफ करने की शक्ति आरडीबी अधिनियम की धारा 20(3) के प्रावधान के साथ पढ़े गए सरफेसी अधिनियम की धारा 18(2) के आधार पर स्पष्ट रूप से लागू थी और उस सीमा तक] परिसीमा अधिनियम के प्रावधान प्रश्नगत विशेष कानूनों के तहत स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। धारा 29(2) निहित रूप से बाहर रखा गया है। इस हद तक] हम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ साथ मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न हैं। हम इस सिद्धांत से भी सहमत हैं कि भले ही परिसीमा अधिनियम की धारा 5 निहित रूप से लागू न हो] परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के सिद्धांत को तब भी लागू माना जा सकता है भले ही परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) लागू न हो। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कन्सोलिडेटेड इंजिनियरिंग एन्टरप्राइजेज बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी] इरिगेशन डिपार्टमेंट (2008) 7 scc 169 और एम.पी.स्टील कोरपोरेशन बनाम कमीशनर आफ सेन्ट्रल एक्साइज (2015) 5 स्केल 505 में निर्धारित किया गया है।

15. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया गया है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 18(1) के तहत अपील दायर करने में देरी को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आरडीबी अधिनियम की धारा 20(3) के प्रावधानों को सरफेसी अधिनियम की धारा 18(2) के साथ पढ़ा जाकर उक्त प्रावधान के तहत माफ किया जा सकता है। सेठ बंशीधर मीडिया राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए विपरीत दृष्टिकोण को पलट दिया जाता है।

16. तदनुसार, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बैंक द्वारा की गई अपील खारिज की जाती है और उधारकर्ताओं द्वारा की गई अपील को स्वीकार किया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश (2011 की एसएलपी (सी) संख्या 27674 और 2011 की एसएलपी (सी) संख्या 36316 से उत्पन्न अपीलों में) को रद्द कर दिया गया है और मामलों को उच्च न्यायालय में कानून के अनुसार नए सिरे से निपटाने के लिए भेज दिया गया है 2012 की एसएलपी (सी) संख्या 38436 से उत्पन्न अपील को सेठ बंशीधर मीडिया राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करते हुए उक्त न्यायाधिकरण द्वारा पारित ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली के आदेश से सीधे प्राथमिकता दी गई है। उक्त विवादित आदेश को भी रद्द कर दिया गया है और मामले को कानून के

अनुसार नए सिरे से निपटाने के लिए ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली को भेज दिया गया है।

17. सभी अपीलें तदनुसार निस्तारित की जाती है।

अपील निस्तारित की जाती है ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवाास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मांडवी राजवी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।